RAJYA SABHA

Friday, the 10th August, 1984/19 Sravana, 1906 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Delhi School Tribunal

*281. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Delhi School Tribunal set up on the basis of the Delhi School Education Act, 1973 and the Delhi School Education Rules, 1973 has regulated its procedure for discharging its functions; if so, the details thereof;

(b) whether there is any other forum besides the Delhi School Tribunal to provide relief to the employees of the recognised private schools, in respect of grievance, relating to terms and conditions of service, which are not covered under the provisions of sub-section (3) of section (8) of the Act, if so, what is that forum; and

(c) whether an employee of a recognised private school can approach a civil or labour court to get relief in a matter over which neither the Delhi School Tribunal has any specific jurisdiction nor any other specific legal remedy has been provided for the redressal of the *bonafide* grievances?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): (a) Section 11(1) of the Delhi School Education Act, 1973 provides that the Tribunal will function strictly in accordance with the procedure followed by the District Judge or equivalent judicial officer performing appellate functions.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir, provided an officer authorised under the Act/Rules has not already exercised any power in that regard.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल के "ख" भाग का जो उत्तर दिया है उस उत्तर में उन्होंने कहा है कि इसकी व्यवस्था नहीं है । जो "ख" भाग है, प्रश्न है वह यह है कि "क्या 'दिल्ली विद्यालय न्यायाधिकरण' के अतिरिक्त और भी कोई ऐसा मंच है जो मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के कर्मचारियों को सेवा की उन शर्तों के संबंध में जो कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन नहीं आती हैं, राहत प्रदान करता है, यदि हां, तो वह मंच क्या है" ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां कोई मंच नहीं है जिसके अन्तर्गत इस धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई राहत प्रदान कर सकें । अगर ऐसी कोई व्यवस्था इस धारा में नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के कर्मचारियों को इस धारा के अन्तर्गत सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए और उसमें राहत नहीं मिलती है तो क्या सरकार ऐसा कोई सुधार इस धारा में करेगी जिसके कारण प्राइवेट स्कूल के कर्मचारियों को और राहत मिल सके, इस धारा के अतिरिक्त भी ?

SHRI P. K. THUNGON: Sir, according to section 8(1) of the Delhi Education Act, 1973, the rules are framed and accordingly rule 111 has been framed. According to that rule, disciplinary authorities can be set up and in that disciplinary authority, a representative of the Director is sent. So, from that angle, even now there is some protection existing for the employees of private schools. As regards the specific point at (b), I have said "No", because as a tribunal, as an appellate authority, there is none once a decision is taken at a certain level.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मैंने पूछा है कि इसमें कोई सुधार करने के लिए, कोई दूसरा नियम, कोई दूसरा कानून बनाने के लिए सरकार तैयार है? उसका जवाब नहीं दिया है ।

श्री उपसभापति : दे दिया है । दूसरा सवाल पूछिये ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : वह तो है, जो है । उसका सवाल नहीं है । जो नहीं है जिस के कारण प्राइवेट स्कूल के कर्मचारियों को राहत मिल सके तो मंत्री जी कहें कि वे नहीं देना चाहते हैं ।

श्री उपसभापति : जाहिर है, दूसरा सवाल पूछिए ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : इसका तो जवाब मिलना चाहिए । पहले इसका जवाब तो दिलवा दीजिए. . . (**व्यवधान**)

श्री पी० के० थूंगन : आनरेबुल सदस्य को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं और जैसा मैंने कहा भी है कि जो उनका सुझाव है वह हम जरूर ध्यान में रखेंगे और जो मैंने कहा है वह भी मैं अनुरोध करता हूं कि वे ध्यान में रखें ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : अच्छा ध्यान में रखूंगा ।

उपसभापति जी : दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह नियम है कि कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी एक ही प्राइवेट स्कूल चला सकती है और अगर वह एक ही स्कूल चला सकती है तो ऐसी कितनी रजिस्टर्ड सोसाइटीज है, जो नियमों को तोड़ कर एक से ज्यादा स्कूल चलाती हैं और उन्होंने कर्मचारियों को दूसरे स्कूलों में भी काम के लिए लगा रखा है जबकि तनख्वाहें अधिक नहीं दी जा रही हैं ।

यदि ऐसी कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं जो एक से ज्यादा स्कूल चला रही हैं और कर्मचारियों को एक के बजाए दूसरे स्कूल में भी काम करवा रही हैं और पैसा कम दे रही हैं, तो ऐसी सोसाइटीज के खिलाफ और ऐसे स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

SHRI P. K. THUNGON: So far as we are concerned, at the moment we have no such information. I will be very happy if the hon. Member has got some such information. If he passes it on to us, we will look into the matter.

*282. [The questioner (Shri J. K. Jain) was absent For answer, vide col. 35 infra]

Desert Control

*283. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that land degeneration is estimated at 3.06 lakh rectares annually;

(b) whether it is also a fact that desert in Western Rajasthan is assuming alarming proportions according to studies conducted by CAZRI, Rajasthan; and

(c) whether Government have taken any decision on the recommendations of Dr. M. S. Swaminathan for setting up a joint consultative group of UNEP, FAO, UNESCO, W.H.O., IBRD and IFAD for desert control to ensure effective planning and implementation of desert control in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Government are aware of the land degeneration problem in the country. However, in the absence of comprehensive survey at intervals, the annual degeneration rate cannot be quantified.